आदेश की एकता

संगठन का यह सिद्धान्त इस तथ्य पर बल देता है कि कर्मचारी को एक समय में एक ही व्यक्ति के अधीन रखना चाहिए और उसे एक ही उच्चाधिकारी के आदेशों का पालन करना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी केवल एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त करें वह आदेश की एकता का सिद्धान्त कहलाती है। अधीनस्थ कर्मचारी एक ही उच्च अधिकारी से निर्देशन व आदेश प्राप्त करता है जिसके कारण किसी भी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती है। पिफनर एवं प्रेस्थस के अनुसार- "आदेश की एकता की अवधारणा का अर्थ है कि किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।" आदेश की एकता के सिद्धान्त की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, क्योंकि कई बार निम्न अधिकारी को अपने से उच्च कई अधिकारियों के आदेशों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आदेश का पालन ससमय एवं कुशलतापूर्वक कर पाना संभव नहीं है।

आदेश की एकता की विशेषताएँ :- **इस सिद्धान्त की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं**

(i) इसमें यह निश्चित होता है कि कौन अधिकारी किससे निर्देश प्राप्त करेगा ? इसी आधार पर उत्तरदायित्व भी निश्चित रहता है।
(ii) प्रत्येक सदस्य एक ही व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है।
(iii) आदेश व उत्तरदायित्व का प्रवाह निश्चित दिशा में होता है।

आदेश की एकता के लाभ:- **आदेश की एकता के प्रमुख लाभ अग्रलिखित हैं**

(i)सभी का अपना कार्य व उत्तरदायित्व स्पष्ट रहता है।
(ii)आदेशों व उत्तरदायित्वों में दोहरापन नहीं आता है।
(iii) इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का भ्रम न होने के कारण लक्ष्य की प्राप्ति सरल रहती है।
(iv) अधिकारी को अपने उत्तरदायित्वों से बचने का कोई अवसर नहीं मिलता है।
(v) इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि होती है तथा किसी भी कार्य में अनावश्यक

विलंब नहीं होता है।
(vi) आदेश देने वाला व्यक्ति एक ही होता है। अत: किसी भी प्रकार के विरोध या भ्रम की संभावना नहीं होती है। अत: संघर्ष की भी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है।
(vii) यह सिद्धान्त पदसोपान प्रणाली के भी अनुकूल है।

आदेश की एकता' सिद्धान्त की आलोचना:- इस सिद्धान्त की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है

(i) यह सिद्धान्त प्रशासन में सभी संगठनों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे- प्राविधिक संगठन एवं सैन्य संगठन। प्राविधिक विभाग के सहायक अभियंता को अपने जिले के सामान्य उच्च अधिकारी अर्थात जिलाधिकारी का आज्ञापालन करना चाहिए किंतु एक तकनीकी कर्मचारी होने के कारण उसे अपने तकनीकी उच्च अधिकारी कार्यपालक अभियंता से भी निर्देश लेना पड़ता है। इस प्रकार तकनीकी अभियंता दोहरे नियंत्रण में कार्य करता है। इसी प्रकार सैन्य विभाग भी है। युद्धकाल में कमांडिग ऑफीसर के साथ न होने पर सैनिक युद्ध सम्बन्धी आदेशों के इंतजार में नहीं रह सकते हैं अन्यथा परिणाम घातक होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक व तकनीकी दोनों प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
(ii) एक व्यक्ति को अपने कार्य में पूर्णरूपेण दक्ष होने के लिए विभिन्न अधिकारियों से आदेश व निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इस आधार पर भी यह सिद्धांत अनुपयुक्त प्रतीत होता है।
(iii) Seckler Hudson अपना मत व्यक्त करते हुए बताया कि यह सिद्धांत काल्पनिक है। "शासन में स्थित प्रशासक के कई स्वामी रहते हैं और वह उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता है। एक से वह नीति सम्बन्धी आदेश प्राप्त करता है, दूसरे से कार्मिक, तीसरे से बजट, चौथे से वितरण व उपकरण सम्बन्धी।"
यद्यपि इस सिद्धांत के प्रयोग से प्रशासन में एवं किसी भी संगठन में एकता व स्थिरता आती है तथापि वर्तमान के तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता एवं जटिलताओं के युग में इस सिद्धांत का महत्व कम होता जा रहा है।

✍️डॉ. कुमार राकेश रंजन
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान
एल.एन. डी. कॉलेज, मोतिहारी
पूर्वी चंपारण (बिहार)